



प्रेस नोट

थाना खेकडा दिनांक 27.03.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 94/26 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से आला कत्ल एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.03.2026 को थाना खेकडा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त प्रविन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी ग्राम हसनपुर मसूरी थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा अपने भाई की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 94/26 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 94/26 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से आलाकत्ल एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रविन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी ग्राम हसनपुर मसूरी थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण -

- आलाकत्ल एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा कारतूस .315 बोरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री प्रभाकर कैन्तुरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री रोशनलाल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 652 मोहित कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 530 धर्मेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 330 प्रवीन कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा दिनांक- 27.03.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 92/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की गयी मोटर साइकिल हीरो स्प्लेन्डर नं० UP-17X-8723 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.03.2026 को थाना खेकड़ा पर वादी राधेश्याम पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि कस्बा रटौल सब्जी मण्डी से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी मोटर साइकिल हीरो स्प्लेन्डर नं० UP-17X-8723 को चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु०अ०सं० 92/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 92/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई एक मोटर साइकिल हीरो स्प्लेण्डर नं० UP-17X-8723 बरामद हुई है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-मोनू उर्फ मेहरबान पुत्र मीनू उर्फ मईनुद्दीन निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-आरिफ पुत्र समीन निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी एक मोटर साईकिल हीरो स्प्लेण्डर नं0 UP-17X-8723

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राहुल यादव थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 886 अमित कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 08 मुकेश कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 397 मौ0 रफीक थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5-का0 997 सोनू यादव थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 27.03.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना-

बागपत पुलिस द्वारा आमजन को सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

गौतम पुत्र अमरनाथ निवासी करुबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राम कुमार थाना बडौत ।
2. है0का0 735 सन्दीप थाना बडौत ।
3. है0का0 293 इरशाद थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक – 27.03.2026

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

फरमान पुत्र गयूर निवासी ग्राम अशरफबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री पुष्पराज थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-हो0गा0 546 नरेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-हो0गा0 583 सबदर अली थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 27.03.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत



पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अनिल पुत्र रमेशचन्द निवासी ग्राम महेशपुर चौपडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-उ0नि0 श्री आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 2-है0का0 533 गजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत।